इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 94] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 मार्च 2023—फाल्गुन 26, शक 1944

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 मार्च 2023

क्रमांक एफ 3/3/4/0001/548/2023: मध्यप्रदेश (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम का कार्यान्वयन अधिनियम, 1991 की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम का कार्यान्वयन नियम, 2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

(1) नियम 3 में, उप—नियम (क) के स्थान पर, निम्नलिखित उप—नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(क) **राज्य स्तरीय समिति.**— राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम समिति गठित की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा एक उपाध्यक्ष भी नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। विभागीय सचिव, समिति का सचिव होगा। राज्य के अशासकीय व्यक्तियों में से मुख्यमंत्री द्वारा 52 सदस्य नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे। समिति की बैठक सामान्यतः वर्ष में दो बार आयोजित की जाएगी। विहित कार्यक्रमों में लक्ष्य तथा उपलब्धियों की गुणात्मक तथा संख्यात्मक समीक्षा की जाएगी। यह समिति दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम को अधिक सक्रिय तथा जनहितकारी बनाने के लिए नीति निर्धारित करेगी।"

No. F-3-3-4-0001-548-2023

In exercise of the powers conferred by section 8 of the Madhya Pradesh (Lok Abhikaranon Ke Madhyam Se) Deendayal Antyodaya Karyakram Ka Karyanvayan Adhiniyam, 1991, the State Government, hereby, makes the following amendment in Madhya Pradesh (Through Public Agencies) Deendayal Antyodaya Program Implementation Rules, 2021, namely:-

(1) In rule 3, for sub-rule (a), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(a) **State Level Committee.-** A State Level Deendayal Antyodaya Program Committee will be constituted under the Chairmanship of a person nominated by the State Government. A Vice President will also be nominated by the State Government. The departmental secretary will be the secretary of the committee. 52 members will be nominated by the Chief Minister from among the non-governmental persons of the State. The meeting of the committee will generally be organized twice in a year. Qualitative and Quantitative Review will be done of targets and achievements in the prescribed programmes. This committee will set a policy to make the Deendayal Antyodaya Programme more active and beneficial to the public.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश चन्द गुप्ता, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2023.